न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 33/2018

प्रेमचंद जैन, तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदे
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें भरतपुर जोन– भरतपुर।

आवे

बनाम

भंवरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मालमसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोि
ब्राहमण एफबीओ व मालिक फर्म जोधपुर मिष्ठान भण्डार कुम्हेर रोड कट
नदबई जिला भरतपुर निवासी हाल कुम्हेर रोड नदबई जिला भरतपुर। मू
निवासी ऑतिया नाला, दैजार तहसील मण्डोर जिला जोधपुर (राज0)

गैरसाय

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएसएक्ट 200
एवं नियम 2011
U/S 3(1)(ZX) of FSSA 2006

उपस्थिति :

1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 12.9.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस. एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 20.2.2018 को 02.45 पी0एम0 पर गैर सायल की उक्त फर्म जोधपुर मिष्ठान भण्डार कुम्हेर रोड, कटरा नदबई,

[redacted] का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त [redacted] आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु एक एल्युमिनियम की ट्रे में [redacted] किलो मस्त केक मिठाई (मावा एवं चीनी से निर्मित) पायी गयी। जिसमें [redacted]/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं [redacted] अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–156/एक्ट/2018/175 दिनांक 12.3.2018 द्वारा उक्त मस्त केक मिठाई का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति मस्त केक मिठाई का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि उसके द्वारा पशुपालकों से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता का दूध क्रय कर मस्त केक मिठाई व अन्य मिठाई निर्मित किया जाकर आम जनता को विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा वक्त निरीक्षण पाये गये मस्त केक मिठाई में कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल के विक्रय स्थल से जो मस्त केक मिठाई (मावा एवं चीनी से निर्मित) का नमूना लिया गया था वह खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या संख्या एलएस–156/एक्ट/2018/175 दिनांक 12.3.2018 .के द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक मस्त केक मिठाई व अन्य मिठाई विक्रय

[illegible] कारोबार को ध्यान मे रखते हुये गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की [illegible] की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी दी जाती है। अतः उक्त [illegible] की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार [illegible] 5000/- (अक्षरेः पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराकर तत्काल न्यायालय हाजा में जमा रसीद प्रस्तुत करें। तदनुसार कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।